

मूल वाद में डिक्की  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी मनीषा खेड़ा

उनवान

बनाम

अमरावत

मालावत दास

दावा बाबत

मुकदमा नंबर:-

निर्णय दिनांक:-

वादी की ओर से अमरावत की व प्रतिवादी की ओर से मालावत दास की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 5/6/18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) मनीषा खेड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्की दी जाती है कि :-

वादी का दास पत्र जसिये राजी नामा व तदारिकाद वीदासर द्वारा प्रस्तुत विज्ञापन प्रकार 30 प्रकार क्रमिक डिक्की जारी किया जाता है वादगत एकत एक से 13 में से 3 सिधा शर्त नामा एक से 132 एकता 6-14 वीमा शर्त नामा एक से 1010/281 एकता 2-09 वीमा पश्चिमी नामा दास अमरावत से

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 5/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



M. S. Khedra  
उपखण्ड अधिकारी  
(पीठासीन अधिकारी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस	
4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. रूपयों पर प्लीडर की फीस			5. आदेशिका की तामिल	
6. कमीशनर की फीस			6. कमीशनर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल				
जोड़			जोड़	

तथा २९० से १३ में से ६-१० वीया पश्चिमी भाग १९२ इकाय ३-१३ वीया  
 पश्चिम भाग २९० से १०१०/२८१ में से २-१० वीया मध्य भाग पश्चिमी  
 से १ मालास के तथा २९० से १९२ में से ९-१३ वीया दक्षिणी भाग  
 २९० से १०१०/२८१ में से २-१० वीया पूर्वी भाग पश्चिमी छोटे टुकड़े  
 के हिस्सा अलग अलग से विभाजित करवा लाकर काम किया जावे।  
 प्राथमिक हिस्सा कितना सत्या के रहने से है। विभाजन उत्तर  
 व मध्य भाग अरिमा १३ वी का भाग है। इतिहास १३ वी की पालना  
 हुए तब से अलग को अलग से लिखा जावे। पश्चिम २९०  
 प्रकल्प अपना - अपना बहाने करे। यह निर्णय आज १३ नं  
 ५-६-१८ को सरे कार्य को जगल में बनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 बीदासर (चूरु)

